न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नीमकाथाना जिला सीकर

पीठासीन अधिकारी : बृजेश कुमार,आर.ए.एस

वाद संख्या 146 / 2018

उनवान

1. बोदूराम पुत्र मांगूराम उम्र 65 साल जाति अहीर निवासी नाथा की नांगल तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

.......वादी.....

1. तहसीलदार नीमकाथाना।
2. भूमिधारी जरिये तहसीलदार नीमकाथाना।

......प्रतिवादीगण........

वाद बाबत घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती

उपस्थितः—1. श्री राजेन्द्र कुमार गोठवाल अधिवक्ता वादी

निर्णय **दिनांकः—31.08.2021**

संक्षेप वाक्यात दावा वादी इस प्रकार है कि भूमि ख.न. 145 रकबा 4.75 है. नया ख.न. 165 रकबा 4.75 है. ग्राम नाथा की नांगल तहसील नीमकाथाना में स्थित है। वर्णित भूमि का ना0क0 संख्या 165 दिनांक 05.12.1975 में सहवन से कृषक बोदूराम पुत्र मांगूराम जाति अहीर निवासी नाथा की नांगल के स्थान पर बोदूराम पुत्र देवी सहाय जाति अहीर निवासी नाथा की नांगल हिस्सा 1/3 दर्ज हो गया। वादी को रिकार्ड की जानकारी नही थी। इस कारण राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता का नाम गलत ही चला आया। वादी के गोव में बोदू पुत्र देवी सहाय नाम का कोई व्यक्ति नही है। वादी के पिता का नाम मांगू है। जो कि राजस्व रिकार्ड में सहवन से मांगू के स्थान पर देवीसहास दर्ज हो गया। वादी जिसे दुरूस्त करवाकर सही नाम मांगूराम दर्ज करवाना चाहता है। वादी के पिता का वास्तविक नाम मांगूराम है। राजस्व रिकार्ड में देवीसहाय गलत दर्ज हो गया इसे दुरूस्त करवाने का वादी पूर्ण रूपेण अधिकारी है। वादी ने उक्त भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिये दिनांक 10.01.2020 को सम्पर्क किया तो वादी के पिता का नाम गलत दर्ज होन की जानकारी हुई। इससे

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

पूर्व वादी को कोई जानकारी नही थी। वाद कारण दिनांक 10.01.2020 को वादी ने पटवारी हल्का से केडिट कार्ड बनवाने हेतु सम्पर्क करने व रिकार्ड दुरूस्त करने हेतु कहां तो इंकार हो गये। अतः वाद वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिकी फरमाया जावें कि वर्तमान जमाबंदी में दर्ज खातेदार बोदू पुत्र देवीसहाय का नाम दुरूस्त करने की घोषणा फरमायी जाकर बोदूराम पुत्र मांगूराम जाति अहीर निवासी नाथा की नांगल दर्ज फरमाया जावें तथा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन फरमाया जावें।

वादी का वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरूद्व एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी ने बतौर साक्ष्य घीसा, जगदीश, जमन बनवारी के शपथ पत्र पेश किये। बहस वकील वादी सुनी गई।

दौराने बहस वकील वादी ने वादपत्र के कथनों को दोहराते हुये बताया कि वादग्रस्त आराजी का ना0क0 सं. 168 भरते समय वादी के पिता का नाम मांगूराम के स्थान पर देवी सहाय सहवन से दर्ज कर दिया गया जो आज तक दर्ज चला आ रहा है। वादी के पिता का सही नाम मांगूराम है। आधार कार्ड, मतदाता पहिचान पत्र, राशनकार्ड, बैक पासबुक पेश की है। सभी में वादी के पिता का नाम मांगूराम ही दर्ज है। सह खातेदारो के बयान करवाये है। जिससे मेरा दावा साबित होता है। अतः दावा डिकी किया जावें एवं वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी के पिता का नाम देवीसहाय के स्थान पर मांगूराम दुरूस्त किये जाने हेतु तहसीलदार नीमकाथाना को आदेश दिया जावें।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादी की सुनी गई एवं पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, दस्तावेज,शपथ पत्र सह खातेदारान का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वंत 2075 से 2078 ग्राम नाथा की नांगल तहसील नीमकाथाना के अवलोकन से पाया गया कि वादग्रस्त आराजी ख.न. 165 रकबा 4.75 हेक्ट. के 1/3 हिस्से की खातेदारी बोदू पुत्र देवीसहाय जाति अहीर सा.देह के नाम दर्ज रिकार्ड है शेष हिस्सा अन्य सह खातेदारान के नाम दर्ज है। वादी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, मतदाता फोटो पहिचान पत्र, राशन कार्ड, बैक पास बुक सभी में वादी के पिता का नाम मांगू राम दर्ज है। प्रस्तुत शपथ पत्र सह खातेदार घीसा पुत्र भूरा, जगदीश पुत्र हनुमान, जमन पुत्र चिरंजीलाल, बनवारी पुत्र हनुमान समस्त जाति अहीर निवासी नाथा

उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

की नांगल ने भी अपने शपथ पत्र जो नोटेरी पब्लिक से तस्दीक शुद्वा है में दर्ज किया है कि गांव में बोदू पुत्र देवीसहाय नाम का कोई व्यक्ति नही है। वादी बोदू के पिता का नाम मांगूराम है जो सहवन से मांगू राम के स्थान पर देवी सहाय दर्ज हो गया। इस प्रकार वादी के कथनों की ताईद सह खातेदारान द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों से भी होती है। अतः प्रस्तुत रिकार्ड एवं साक्ष्य से दावा वादी साबित होने से स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना
(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा राजस्व ग्राम नाथा की नांगल तहसील नीमकाथाना के खाता सं. 30 खसरा नम्बर 165 रकबा 4.75 हेक्ट. में दर्ज खातेदार **बोदू पुत्र देवीसहाय** के स्थान पर **बोदूराम पुत्र मांगूराम** दर्ज करे राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे। तद्वाानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती हेतु पर्चा डिक्री मुर्तीव हो।

निर्णय सरे इजलाय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना
(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

डिकरी व मुकदमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत	उपखण्ड अधिकारी	मुकाम	नीमकाथाना
व इजलास	**बृजेश कुमार (आर.ए.एस.)**	:	**उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना**

बोदूराम **बनाम** तहसीलदार

–वादी– –प्रतिवादी–

दावा बाबत घोषणा

मुकदमा नं. 61 सन् 2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू बृजेश कुमार (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना व हाजरी श्री राजेन्द्र गोठवाल एडवोकेट– वादी मिनजानिब मुद्दई व –मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि राजस्व ग्राम नाथा की नांगल तहसील नीमकाथाना के खाता सं. 30 खसरा नम्बर 165 रकबा 4.75 हेक्ट. में दर्ज खातेदार **बोदू पुत्र देवीसहाय** के स्थान पर **बोदूराम पुत्र मांगूराम** दर्ज करे राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे।तद्वानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

निज................×.......................मुबलिग...................×.......................बाबत.................×.................

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद बशरह.......................×.................................फीसदी सलाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.....................×.............................को अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 31 माह 08 सन् 2021 को जारी की गई।

मुहर

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना
उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए ।